कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून 248195

स0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 54 /2017-18/
दिनांक : /10/2017

सेवा में,

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत, अलखदेवी
विकास खण्ड- गदरपुर
जिला-ऊधमसिहं नगर

विषय : ग्राम पंचायत अलखदेवी का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग 2(अ) में शून्य प्रस्तर, भाग-2(ब) में 06 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर** हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (*Annual Technical Inspection Report) (ATIR*) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-2(ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी (**निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड**) के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति
2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-54/2017-18/ **दिनांक: /10/2017**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड़, आई0टी0पार्क सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून
2- जिला पंचायतराज अधिकारी, **ऊधमसिहं नगर**
3- खण्ड विकास अधिकारी, **गदरपुर**

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

ग्राम पंचायत **अलखदेवी,** (क्षेत्र पंचायत- **गदरपुर,** जनपद- **ऊधमसिहं नगर** लेखे पर निरीक्षण प्रतिवेदन। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखाकार (क.श.एवं.से.श.) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है।

भाग-1

ग्राम पंचायत, **अलखादेवी,** (क्षेत्र पंचायत- **गदरपुर,** जनपद- **ऊधमसिहं नगर** के वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक के लेखों की लेखापरीक्षा श्री नितिन वर्मा, ले.प, श्री विजय बड़थवाल, स.ले.प.अ. श्री केदार सिंह, स.ले.पअ. द्वारा एवं श्री बी एस चंदेल, व.ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में दिनांक 22/09/2017 से 29/09/2017 तक संपादित की गयी।

2. परिचय

(अ) इस ग्राम पंचायत का यह प्रथम निरीक्षण था।
(ब) ग्राम पंचायत का परिचय अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

3. प्रशासन

उल्लिखित अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान और उप प्रधान थे-

I प्रधान

नाम	**अवधि**
(अ) श्री विनोद कुमार	**जुलाई 2014 से अब तक**
(ख) श्रीमती रेखा रानी	----------

II उप-प्रधान

नाम	**अवधि**
(अ) श्री अभय कुमार श्रीवास्ताव	**जुलाई 2014 से अब तक**

भाग-2

अनुभाग 'अ'

1 (अ) पिछले प्रतिवेदनों के बकाया आपत्तियों के प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है।

-प्रथम निरीक्षण-

(ब) सतत् अनियमितताएं:-

1- उ॰प्र॰पं॰रा॰अ॰ 1947 की धारा 41 के अनुसार बजट टेयार नहीं किया जा रहा था ।

2- आंतरिक लेखापरीक्षा संपादित/ निष्पादित नहीं की जा रही थी।

3- ग्राम पंचायत की समिति की बैठक नहीं करवायी जा रही थी ।

2. अनुदान

अनुदानों की विनियोग पंजी नहीं रखी जा रही है, एवं अनुदानों की विनियोग पंजी न रखने से होने वाले प्रभाव निम्नवत् है।

1- अनुदान पंजिका नहीं बनाए जाने के कारण अनुदान प्राप्ति, उपभोग एवं अवशेष की जांच नही की जा सकी।

भाग-2

अनुभाग 'ब'

1. लेन-देनों का परिमाण

सम्प्रेक्षणाधीन वर्ष के दौरान लेन-देनों का परिमाण निम्नलिखित विवरणानुसार था।

	धनराशि (` में)
01.04.2016 को प्रारम्भिक शेष	` 269087.00
जोड़े-वर्ष के दौरान प्राप्तियां	` 2092247.00
कुल प्राप्तियां	` 2361334.00
घटायेः- वर्ष के दौरान व्यय	` 2071911.00
31.03.2017 को अंतिम शेष	` 289423.00

2. रोकड़ शेष:

(i) ग्राम पंचायत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2017 को शेष का कोषालय/बैंक पास बुक/विवरण के शेष से मिलान किया गया है। समाधान विवरण संलग्न में न भुनायी गयी चैकों तथा जमा न किए गए चालानो का विवरण दिया गया है जिनको नीचे उल्लिखित किया गया है।

-----------शून्य------------

3. समाधान विवरण

		(धनराशि ` में)
रोकड़ बही के अनुसार शेष	:	289423.00
जोड़े	:	--
(i)	:	
घटायें	:	
(i)	:	---
बैंक पासबुकों/विवरण के अनुसार शेष	:	289423.00

(ii) रोकड़ बही में अनियमिततताएं

----

4. आय व्ययक

(अ) ग्राम पंचायत ने वर्ष के लिए न तो कोई आय व्ययक अनुमान तैयार/अनुमोदित किया न ही उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 41 के अधीन कोई कार्यवाही की। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई राशि 2071911.00 उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 41 के अनुसार अनाधिकृत है।

5. अग्रिम:

अग्रिम पंजिका नहीं बनायी गयी थी। अतएव निरीक्षण में अग्रिमों के संबंध में कोई निरीक्षण टिप्पणी नहीं की जा सकी।

6. नहीं बनाये गये अति महत्वपूर्ण अभिलेखः

(1) ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित लेखा पंजिकायें/अभिलेख नहीं खोली/रखी गयी थी या इनका ठीक से रख-.रखाव नहीं किया गया था:-

लेखा पंजिकाओं/अभिलेखों का नाम

1- कार्य पंजिका

2- स्टाक पंजिका

3- बिल पंजिका

4- अग्रिम पंजिका

भाग-4 (अ)

(क) **परिचयात्मकः-** कार्यालय ग्राम पंचायत, **अलखदेवी,** (क्षेत्र पंचायत- **गदरपुर,** जनपद- **ऊधमसिहं नगर** के वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक के लेखों की लेखापरीक्षा श्री नितिन वर्मा, ले.प, श्री केदार सिंह,स.ले.पअ. द्वारा एवं श्री बी एस चंदेल, व.ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में दिनांक 22/09/2017 से 29/09/2017 तक संपादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

-प्रथम निरीक्षण-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 प्रस्तर भाग-4 (अ) प्रस्तर भाग-4 (ब)

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर -

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-		---

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची: भाग- 2 'अ' के 1(ब) के अनुसार

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख: भाग-2(अ) के 6(i) के अनुसार

<u>भाग (4) ब 2</u>

प्रस्तर01- भारत के नियन्त्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्धारित नवीन बजट तथा लेखा प्रारूपों पर लेखा तैयार नहीं किया जाना।

भारत के 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन के दिशा में सशक्त बनाने हेतु भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु नवीन एवं सरलीकृत बजट तथा लेखा प्रारूपों को अपनाने हेतु निर्धारित किया गया था। जिसके तारतम्य में उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने शासनादेश संख्या 619/XII /2005/82(06) 2004 दिनांक 26-7-2005 के द्वारा इन प्रारूपों को औपचारिक रूप से दिनांक 01-04-2005 से लागू किया गया था ।

ग्राम **अलखदेवी,** के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि इकाई के अभिलेखों में लेखांकन भारत के नियन्त्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर तैयार नही किया जा रहा है।

उपरोक्त के विषय पर पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वर्तमान में पंचायत राज अधिनियम के द्वारा निर्धारित प्रारूपों में लेखाकंन का कार्य किया जा रहा है, किन्तु नियन्त्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूपों में कार्य प्रशिक्षण के अभाव में अभिलेखों का लेखाकंन किये जाने में कठिनाई हो रही है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि शासनादेश दिनांक 01-04-2005 को लागू किये जाने के पश्चात भी ग्राम पंचायत द्वारा अद्यतन तिथि अंगीकार तक नही किया गया जिसके कारण अभिलेखों का रख रखाव अपूर्ण था।

अतः निर्धारित प्रारूपों को ग्राम पंचायत द्वारा लागू न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग (4) ब 2</u>

प्रस्तर 02- संविधान के 73वें संशोधन के ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय में से मात्र 14 विषय का अपूर्ण हस्तान्तरण।

1992 में संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं जिनमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है,को स्वायतता (self governance) प्रदान की गई है। तदनुसार संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों का हस्तान्तरण त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को किया जाना है। वर्तमान निरीक्षण तक राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मात्र 14 विषय ही हस्तान्तरित किये गये है जो निम्नवत हैं।

1. पेयजल आपूर्ति
2. ग्रामीण आवास
3. गरीबी उन्मूलन
4. प्राथमिक शिक्षा
5. प्रौढ एंव अनौपचारिक शिक्षा
6. पुस्तकालय
7. सांस्कृतिक क्रियाक्लाप
8. परिवार कल्याण
9. स्वास्थ्य तथा स्वच्छता कार्यक्रम
10. महिला एंव बाल विकास
11. समाज कल्याण
12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
13. लघु सिंचाई
14. कृषि तथा सम्बन्धित विभाग

उपरोक्त विषय उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2006 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये गये थे।

परन्तु ग्राम **अलखदेवी,**की अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा मात्र 14 विषयों का शासनादेश निर्गत किया गया है। परन्तु इन 14 विषयों से सम्बन्धित कर्मचारी एंव अधिकारी ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं। हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण 73वें संविधान संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि शासन स्तर पर शासनादेश जारी किया गया है,किन्तु ग्राम पंचायत को पूर्ण दायित्व वास्तविक रूप से हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं।

अतः उत्तर सन्तोषजनक नहीं है, प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 4 'ब' 2

प्रस्तर 03: वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक विभिन्न खातों से ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि ` 16314/- को राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखंड शासन पत्रांक संख्या 347/वि॰ आ॰ निदे॰ (तृ॰ रा॰ वि॰ आ॰)0049/2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल धनराशि एवम उस पर ब्याज के वर्षवार विवरण उपलब्ध कराते हुए ब्याज की धनराशि को राज़कोष में जमा किया जाना चाहिये।

ग्राम पंचायत, **अलखदेवी** के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया की इकाई को वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक विभिन्न बैंक खातों से ब्याज के रूप में ` **16314/-** की धनराशि प्राप्त हुई थी उक्त धनराशि में से इकाई ने ` शून्य/-व्यय कर दिया व्यय के उपरांत शेष धनराशि `**16314**/- तक इकाई के खाते में लंबित पड़ी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की उक्त शासनादेश की जानकारी के अभाव में ब्याज की धनराशि इकाई के खाते में लंबित पड़ी है। यथाशीघ्र ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा।

अतः ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि ` 16314**/-** इकाई के खाते में लंबित पड़े रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4 'ब' 2

प्रस्तर 04 - 14वें केंद्र वित्त आयोग योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों को दिशानिर्देशों के विपरीत कराया जाना।

ग्राम पंचायत मे 14वें वित्त के अंतर्गत कराए गए कार्यों की लेखापरीक्षा मे निम्नलिखित कमियाँ पायी गई-

क्रमांक	कार्य का नाम/लागत	पायी गई कमियाँ
1	**आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, अलखा देवी** **लागत- 4.50 लाख**	1- ग्राम सभा का प्रस्ताव संलग्न नही था। 2- क्रय समिति का गठन नही किया गया था। 3- बाउचर पर Paid And Cancelled की मुहर नही थी। 4- कार्यादेश संलग्न नही था जिससे यह स्पष्ट नही था की कार्य कितने दिनों मे पूरा किया जाना था। 5- सामाग्री सप्लायर से अनुबंध नही किया गया था तथा भुगतान नगद किया गया था। 6- फाईल मे संलग्न मस्टररोल की धनराशि एवं कार्य दिवस कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मे दर्शाए गए श्रमांश पर व्यय एवं कार्य दिवस मे भिन्नता थी। 7- फाईल मे MB की छायाप्रति संलग्न नही थी। 8- भुगतान की गई धनराशि के समर्थन मे प्राप्ति रशीद संलग्न नही थी। 9- क्रय की गई सामाग्री की स्टॉक रजिस्टर मे इंट्री नही की गई थी। 10-बिलभुगतान की गई धनराशि /बाउचर मे दावा की गई/ का शब्दों मे अंकन नही किया गया था।
2	**वीरेंद्र के घर के निकट प्रेशरवाला हैंडपंप** **लागत- 19700**	1- ग्राम सभा का प्रस्ताव संलग्न नही था। 2- क्रय समिति का गठन नही किया गया था। 3- बाउचर पर Paid And Cancelled की मुहर नही थी। 4- कार्यादेश संलग्न नही था जिससे यह स्पष्ट नही था की कार्य कितने दिनों मे पूरा किया जाना था। 5- सामाग्री सप्लायर से अनुबंध नही किया गया था तथा भुगतान नगद किया गया था। 6- भुगतान की गई धनराशि के समर्थन मे प्राप्ति रशीद संलग्न नही थी। 7- क्रय की गई सामाग्री की स्टॉक रजिस्टर मे इंट्री नही की गई थी। 8- बिलभुगतान की गई धनराशि /बाउचर मे दावा की गई/

		का शब्दों मे अंकन नही किया गया था।
3	**लक्ष्मी के घर के निकट प्रेशरवाला हैंडपंप का निर्माण लागत-19500**	1- ग्राम सभा का प्रस्ताव संलग्न नही था। 2- क्रय समिति का गठन नही किया गया था। 3- बाउचर पर Paid And Cancelled की मुहर नही थी। 4- कार्यादेश संलग्न नही था जिससे यह स्पष्ट नही था की कार्य कितने दिनों मे पूरा किया जाना था। 5- सामाग्री सप्लायर से अनुबंध नही किया गया था तथा भुगतान नगद किया गया था। 6- भुगतान की गई धनराशि के समर्थन मे प्राप्ति रशीद संलग्न नही थी। 7- क्रय की गई सामाग्री की स्टॉक रजिस्टर मे इंट्री नही की गई थी। 8- बिलभुगतान की गई धनराशि /बाउचर मे दावा की गई/ का शब्दों मे अंकन नही किया गया था।
4	**राजकुमार के घर के निकट प्रेशरवाला हैंडपंप लागत- 19700**	1- ग्राम सभा का प्रस्ताव संलग्न नही था। 2- क्रय समिति का गठन नही किया गया था। 3- बाउचर पर Paid And Cancelled की मुहर नही थी। 4- कार्यादेश संलग्न नही था जिससे यह स्पष्ट नही था की कार्य कितने दिनों मे पूरा किया जाना था। 5- सामाग्री सप्लायर से अनुबंध नही किया गया था तथा भुगतान नगद किया गया था। 6- भुगतान की गई धनराशि के समर्थन मे प्राप्ति रशीद संलग्न नही थी। 7- क्रय की गई सामाग्री की स्टॉक रजिस्टर मे इंट्री नही की गई थी। 8- बिलभुगतान की गई /बाउचर मे दावा की गई/ धनराशि का शब्दों मे अंकन नही किया गया था। 9- बाउचर मे सामाग्री एवं मजदूरी हेतु दावा की गई धनराशि एवं कार्यपूर्ति प्रामाण पत्र मे दर्शाए गए सामाग्री एवं मजदूरी से भिन्न था अर्थात कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ठीक से नही भरा गया था।
5	**सुरेन्द्र घर के निकट प्रेशरवाला हैंडपंप लागत-19500**	1- ग्राम सभा का प्रस्ताव संलग्न नही था। 2- क्रय समिति का गठन नही किया गया था। 3- बाउचर पर Paid And Cancelled की मुहर नही थी। 4- कार्यादेश संलग्न नही था जिससे यह स्पष्ट नही था की कार्य कितने दिनों मे पूरा किया जाना था। 5- सामाग्री सप्लायर से अनुबंध नही किया गया था तथा भुगतान नगद किया गया था। 6- भुगतान की गई धनराशि के समर्थन मे प्राप्ति रशीद संलग्न नही थी।

		7- क्रय की गई सामाग्री की स्टॉक रजिस्टर मे इंट्री नही की गई थी। 8- बिलभुगतान की गई धनराशि /बाउचर मे दावा की गई/ का शब्दों मे अंकन नही किया गया था। 9- बाउचर मे सामाग्री एवं मजदूरी हेतु दावा की गई धनराशि एवं कार्यपूर्ति प्रामाण पत्र मे दर्शाए गए सामाग्री एवं मजदूरी से भिन्न था अर्थात कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ठीक से नही भरा गया था।
6	**राज नारायण के घर के निकट प्रेशरवाला हैंडपंप** **लागत-19500**	1- ग्राम सभा का प्रस्ताव संलग्न नही था। 2- क्रय समिति का गठन नही किया गया था। 3- बाउचर पर Paid And Cancelled की मुहर नही थी। 4- कार्यादेश संलग्न नही था जिससे यह स्पष्ट नही था की कार्य कितने दिनों मे पूरा किया जाना था। 5- सामाग्री सप्लायर से अनुबंध नही किया गया था तथा भुगतान नगद किया गया था। 6- भुगतान की गई धनराशि के समर्थन मे प्राप्ति रशीद संलग्न नही थी। 7- क्रय की गई सामाग्री की स्टॉक रजिस्टर मे इंट्री नही की गई थी। 8- बिलभुगतान की गई धनराशि /बाउचर मे दावा की गई/ का शब्दों मे अंकन नही किया गया था। 9- बाउचर मे सामाग्री एवं मजदूरी हेतु दावा की गई धनराशि एवं कार्यपूर्ति प्रामाण पत्र मे दर्शाए गए सामाग्री एवं मजदूरी से भिन्न था अर्थात कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ठीक से नही भरा गया था।
7	**प्रभाकर के घर के निकट प्रेशरवाला हैंडपंप** **लागत- 19500**	1- ग्राम सभा का प्रस्ताव संलग्न नही था। 2- क्रय समिति का गठन नही किया गया था। 3- बाउचर पर Paid And Cancelled की मुहर नही थी। 4- कार्यादेश संलग्न नही था जिससे यह स्पष्ट नही था की कार्य कितने दिनों मे पूरा किया जाना था। 5- सामाग्री सप्लायर से अनुबंध नही किया गया था तथा भुगतान नगद किया गया था। 6- भुगतान की गई धनराशि के समर्थन मे प्राप्ति रशीद संलग्न नही थी। 7- क्रय की गई सामाग्री की स्टॉक रजिस्टर मे इंट्री नही की गई थी। 8- बिलभुगतान की गई धनराशि /बाउचर मे दावा की गई/ का शब्दों मे अंकन नही किया गया था। 9- बाउचर मे सामाग्री एवं मजदूरी हेतु दावा की गई धनराशि एवं कार्यपूर्ति प्रामाण पत्र मे दर्शाए गए सामाग्री एवं मजदूरी से भिन्न था अर्थात कार्य पूर्ति

		प्रमाण पत्र ठीक से नही भरा गया था।
8	**सुबोध गुरुकुल अकादेमी के निकट प्रेशरवाला हैंडपंप** **लागत- 19800**	1- ग्राम सभा का प्रस्ताव संलग्न नही था। 2- क्रय समिति का गठन नही किया गया था। 3- बाउचर पर Paid And Cancelled की मुहर नही थी। 4- कार्यादेश संलग्न नही था जिससे यह स्पष्ट नही था की कार्य कितने दिनों मे पूरा किया जाना था। 5- सामाग्री सप्लायर से अनुबंध नही किया गया था तथा भुगतान नगद किया गया था। 6- भुगतान की गई धनराशि के समर्थन मे प्राप्ति रशीद संलग्न नही थी। 7- क्रय की गई सामाग्री की स्टॉक रजिस्टर मे इंट्री नही की गई थी। 8- बिलभुगतान की गई /बाउचर मे दावा की गई/ धनराशि का शब्दों मे अंकन नही किया गया था। 9- बाउचर मे सामाग्री एवं मजदूरी हेतु दावा की गई धनराशि एवं कार्यपूर्ति प्रामाण पत्र मे दर्शाए गए सामाग्री एवं मजदूरी से भिन्न था अर्थात कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ठीक से नही भरा गया था।
9	**पवन कुमार घर के निकट प्रेशरवाला हैंडपंप** **लागत- 19500**	1- ग्राम सभा का प्रस्ताव संलग्न नही था। 2- क्रय समिति का गठन नही किया गया था। 3- बाउचर पर Paid And Cancelled की मुहर नही थी। 4- कार्यादेश संलग्न नही था जिससे यह स्पष्ट नही था की कार्य कितने दिनों मे पूरा किया जाना था। 5- सामाग्री सप्लायर से अनुबंध नही किया गया था तथा भुगतान नगद किया गया था। 6- भुगतान की गई धनराशि के समर्थन मे प्राप्ति रशीद संलग्न नही थी। 7- क्रय की गई सामाग्री की स्टॉक रजिस्टर मे इंट्री नही की गई थी। 8- बाउचर मे सामाग्री एवं मजदूरी हेतु दावा की गई धनराशि एवं कार्यपूर्ति प्रामाण पत्र मे दर्शाए गए सामाग्री एवं मजदूरी से भिन्न था अर्थात कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ठीक से नही भरा गया था।
10	**सोनिया घर के निकट प्रेशरवाला हैंडपंप** **लागत-19500**	1- ग्राम सभा का प्रस्ताव संलग्न नही था। 2- क्रय समिति का गठन नही किया गया था। 3- बाउचर पर Paid And Cancelled की मुहर नही थी। 4- कार्यादेश संलग्न नही था जिससे यह स्पष्ट नही था की कार्य कितने दिनों मे पूरा किया जाना था। 5- सामाग्री सप्लायर से अनुबंध नही किया गया था तथा भुगतान नगद किया गया था।

		6- भुगतान की गई धनराशि के समर्थन मे प्राप्ति रशीद संलग्न नही थी। 7- क्रय की गई सामाग्री की स्टॉक रजिस्टर मे इंट्री नही की गई थी। 8- बिलभुगतान की गई धनराशि /बाउचर मे दावा की गई/ का शब्दों मे अंकन नही किया गया था। 9- बाउचर मे सामाग्री एवं मजदूरी हेतु दावा की गई धनराशि एवं कार्यपूर्ति प्रामाण पत्र मे दर्शाए गए सामाग्री एवं मजदूरी से भिन्न था अर्थात कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ठीक से नही भरा गया था।
11	**बासमती के घर के निकट प्रेशरवाला हैंडपंप लागत-19700**	1- ग्राम सभा का प्रस्ताव संलग्न नही था। 2- क्रय समिति का गठन नही किया गया था। 3- बाउचर पर Paid And Cancelled की मुहर नही थी। 4- कार्यादेश संलग्न नही था जिससे यह स्पष्ट नही था की कार्य कितने दिनों मे पूरा किया जाना था। 5- सामाग्री सप्लायर से अनुबंध नही किया गया था तथा भुगतान नगद किया गया था। 6- भुगतान की गई धनराशि के समर्थन मे प्राप्ति रशीद संलग्न नही थी। 7- क्रय की गई सामाग्री की स्टॉक रजिस्टर मे इंट्री नही की गई थी। 8- बिलभुगतान की गई धनराशि /बाउचर मे दावा की गई/ का शब्दों मे अंकन नही किया गया था। 9- बाउचर मे सामाग्री एवं मजदूरी हेतु दावा की गई धनराशि एवं कार्यपूर्ति प्रामाण पत्र मे दर्शाए गए सामाग्री एवं मजदूरी से भिन्न था अर्थात कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ठीक से नही भरा गया था।
12	**भारत के घर के निकट प्रेशरवाला हैंडपंप लागत- 19300**	1- ग्राम सभा का प्रस्ताव संलग्न नही था। 2- क्रय समिति का गठन नही किया गया था। 3- बाउचर पर Paid And Cancelled की मुहर नही थी। 4- कार्यादेश संलग्न नही था जिससे यह स्पष्ट नही था की कार्य कितने दिनों मे पूरा किया जाना था। 5- सामाग्री सप्लायर से अनुबंध नही किया गया था तथा भुगतान नगद किया गया था। 6- भुगतान की गई धनराशि के समर्थन मे प्राप्ति रशीद संलग्न नही थी। 7- क्रय की गई सामाग्री की स्टॉक रजिस्टर मे इंट्री नही की गई थी। 8- बिलभुगतान की गई धनराशि /बाउचर मे दावा की गई/ का शब्दों मे अंकन नही किया गया था।

		9- बाउचर मे सामाग्री एवं मजदूरी हेतु दावा की गई धनराशि एवं कार्यपूर्ति प्रामाण पत्र मे दर्शाए गए सामाग्री एवं मजदूरी से भिन्न था अर्थात कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ठीक से नही भरा गया था।

आगे जांच मे यह भी पाया गया की सामाग्री मै0 रवीद्र एवं जगदीश लाल से क्रय की गई थी। मै0 रवीद्र ने जो बिल ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए थे उसमे बिल नो अंकित नही था तथा जो बिल मै0 जगदीश लाल ने उपलब्ध कराए थे उनके बिलो के क्रमांक एवं उसके सम्मुख दर्शाए गए दिनांक मे तारतम्यता नही थी अर्थात बिल न0 बढते हुए क्रम मे थे जबकी दिनांक घटते हुए क्रम मे थे। जैसे – बिल न0 11 जोकि दिनांक 25/07/2016 को क्रय किया गया था की धनराशि 19500 थी जबकि बिल न0 21 जोकि 23/07/2016 को क्रय की गई थी जिसकी धनराशि 19500 थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया की उक्त कमियों को भविष्य के लिए नोट किया। उत्तर मान्य नही है क्योंकि निर्माण कार्यों को नियमानुसार नही कराया गया था।

अतः 14वें केंद्र वित्त आयोग योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों को दिशानिर्देशों के विपरीत कराए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग 4 (ब) 2</u>

प्रस्तर 05- उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्मित पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य न किया जाना।

उत्तराखंड सरकार ने अप्रैल 2016 मे पंचायती राज अधिनियम का निर्माण किया था जिसके अनुसार पंचायतों को अपना कार्य करना था । यह अधिनियम वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू कर दिया गया था । अधिनियम की धारा तीन से 48 तक मे ग्राम पंचायतों के गठन, बैठक एवं कार्य करने का विवरण दिया गया है ।

ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि **ग्राम पंचायत अलखदेवी, विकासखंड गदरपुर, ऊधमसिंहनगर** मे आवश्यक अभिलेखों संपत्ति विषयक अभिलेख, स्वामित्व रजिस्टर, स्टॉक बुक, गार्ड फाइल, करदाताओं की सूची, मांग व वसूली रजिस्टर, आय-व्यय रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर, करदाताओं की सूंची का मुख्य पृष्ठ तथा ग्राम पंचायत कि परिसंपत्तियाँ आदि का रख रखाव नही किया जा रहा था। साथ ही यह भी पाया गया कि ग्राम सभा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 मे चार सामान्य बैठक(धारा 3 घ) के सापेक्ष तीन बैठकें की गई। ग्राम सभा द्वारा केवल निर्माण कार्यों की प्राथमिकता दी जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा कार्य हस्तांतरण प्रमाण पत्र नही लिया गया था जो कि धारा 8(6)क के अनुसार आवश्यक था। ग्राम पंचायत द्वारा अधिनियम कि धारा 22(1) एवं 23 के अनुसार कार्य न कराते हुए केवल योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को ही व्यय किया जा रहा था। इससे स्पष्ट था कि ग्राम पंचायत द्वारा जनहित मे अन्य कार्य तथा निजी स्रोतों से आय बढ़ाने का कार्य नही किया गया जैसा कि अधिनियम कि धारा 29 मे वर्णित है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल जुलाई 2014 मे प्रारम्भ हुआ था, लेकिन लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य समिति एवं भूमि प्रबन्धक समिति की स्थापना नही की गयी थी जिससे भूमि प्रबंधन का कार्य अधिनियम के अनुसार नही किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा पूंछे जाने पर बताया गया कि कार्य समिति तथा भूमि प्रबंधन समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाएगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । उत्तर मान्य नही है क्योकि ग्राम पंचायत अधिनियम के धाराओं का उल्लंघन कर रही थी जिससे ग्राम मे विकास का कार्य के साथ साथ भूमि प्रबंधन के साथ साथ निजी स्रोतो से आय मे वृद्धि नही हो रही थी।

अतः उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्मित पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य न किया जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग 2(ब)</u>

प्रस्तर 06: त्रिस्तरीय पंचायतों में भारत सरकार द्वारा ई-पंचायत के अंतर्गत 11 एप्लीकेशन्स लागू नहीं किया जाना।

त्रिस्तरीय पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं जन सामान्य को इसकी जानकारी सुलभ कराने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-पंचायत के अंतर्गत 11 एप्लीकेशन्स तैयार किये गये हैं ।

ग्राम पंचायत **अलखदेवी** विकास खंड गदरपुर, ऊधमसिंह नगर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत में 11 एप्लीकेशन्स (सॉफ्टवेर) के सापेक्ष केवल 02 एप्लीकेशन्स क्रमशः प्लान प्लस एवं प्रिया सॉफ्ट ही क्रियाशील हैं ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी विशेष प्रयास नही किया जा रहा है। क्रियाशील एप्लीकेशन को संचालित किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशो के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इन एप्लीकेशन्स (सॉफ्टवेर) से संबन्धित प्रशिक्षण के बारे में पूछे जाने पर बताया कि प्रशिक्षण नही दिया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण के अभाव में एप्लीकेशनस आंशिक रूप से क्रियाशील थे। परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत में भारत सरकार द्वारा ई-पंचायत के अंतर्गत 11 एप्लीकेशन्स लागू नहीं किये जा सके।

अतः भारत सरकार द्वारा ई-पंचायत के अंतर्गत 11 एप्लीकेशन्स लागू नहीं किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।